गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 22 वीं बैठक (प्रबन्ध–मण्डल की 21 वीं बैठक की सम्पुष्टि)

दिनांक : 06.01.2023
समय :अपराह्न 02:30 बजे
स्थान :कुलपति कार्यालय, गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार
बैठक में उपस्थिति निम्नवत रही

क0 सं0	नाम	पद
1	प्रो0 सोमदेव शतांशु	मान्य कुलपति, अध्यक्ष
2	डॉ0 नेपाल सिंह तोमर (ऑनलाइन)	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित शिक्षाविद् सदस्य
3	प्रो0 एस0सी0 बागड़ी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य
4	प्रो0 रेणु शुक्ला	कोर्डिनेटर, कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून, सदस्या
5	प्रो0 ब्रह्मदेव	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
6	प्रो0 अम्बुज कुमार शर्मा	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
7	प्रो0 संगीता सिंह (ऑनलाइन)	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
8	डॉ0 प्रवीणा चतुर्वेदी	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्या
9	प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित, सदस्य
10	डॉ0 सुनील कुमार, कुलसचिव	सचिव–संयोजक, सदस्य

प्रस्ताव संख्या 01 **समविश्वविद्यालय में दिनांक 06.01.2023 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति कार्यालय में हुई बैठक की सम्पुष्टि ।**

दिनांक 06.01.2023 को प्रातः 11:30 बजे कुलपति कार्यालय में हुई बैठक की कार्यवाही को निम्न प्रकार से सम्पुष्ट किया गया ।

प्रस्ताव संख्या 01 में सर्वसम्मति से पूर्व कुलपति प्रो0 रूप किशोर शास्त्री के निष्कासन तथा प्रो0 सोमदेव शतांशु, संस्कृत विभाग को कुलपति (कार्यवाहक) के रूप में स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 02 को सम्पुष्ट किया गया तथा डॉ0 श्रवण के सम्बन्ध में पूरक प्रस्ताव संख्या 01 में विचार किया जायेगा ।

प्रस्ताव संख्या 03 में समविश्वविद्यालय के शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 13.06.2022 एवं वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.07.2022 की कार्यवाही का संपुष्टि की गयी ।

प्रस्ताव संख्या 04 में समविश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी के त्याग–पत्र/कार्यमुक्ति एवं प्रायोजित संस्थाओं द्वारा संयुक्त रुप से दिनांक 03.01.2023 को समविश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि माननीय कुलाधिपति डॉ0 सत्यपाल सिंह के दिनांक 30.12.2022 को व्यथित मन से प्रदत्त त्यागपत्र को अस्वीकर करते हुए उनसे यह निवदेन करने का निर्णय लिया गया कि वे समविश्वविद्यालय के हित में कुलाधिपति पद को स्वीकार कर पद पर बने रहें। साथ ही प्रायोजक संस्था पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली के प्रधानों से भी यह निवेदन किया जाए कि डॉ सत्यपाल सिंह को दिये गये कार्यमुक्ति/त्यागपत्र सम्बन्धी पत्र को वापस ले लिया जाए । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निवेदन किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से भी उचित दिशा–निर्देश प्राप्त कर लिए जाये, उसके उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाए।

प्रस्ताव संख्या 05 में सर्वसम्मति से अस्थायी नियुक्तियों की पुष्टि की गई तथा समानता के अधिकार के आलोक में यह निर्णय लिया गया भी पूर्ण प्रकिया के अन्तर्गत समान पदों पर समान वेतन दिया जाना चाहिए ।

प्रस्ताव संख्या 06 में समविश्वविद्यालय के स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत (स्ववित्तपोषित नियमावली–2020) संकायों एवं विभागों में नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों (सेवा–पुस्तिका में अंकित रिकॉर्ड के अनुसार) को ग्रुप मेडिकल/हैल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को समिति की संस्तुति के अनुसार फिक्स रु.30,000/– प्रतिवर्ष दिया जाना स्वीकृत किया।

प्रस्ताव संख्या 07 में समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार MACP योजना के अन्तर्गत प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने की स्वीकृति को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव संख्या 08 में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षिकाओं के CAS प्रोन्नति एवं दिनांक 24.11.2022 को अवर श्रेणी लिपिक पद पर विभागीय पदोन्नति हेतु टंकण परीक्षा के लिफाफों को खोलना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में रिक्त शिक्षकों/शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेतर वर्ग के पदों पर हुए साक्षात्कार के लिफाफों को खोलने के सम्बन्ध में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि साक्षात्कारों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु निम्न प्रकार समिति गठित की जाए:

1. एक बाह्य वरिष्ठ प्रोफसर
2. एक आन्तरिक वरिष्ठ प्रोफेसर
3. कुलसचिव/आई0क्यू0ए0सी0 निदेशक

समिति अपनी रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करेगी । तदुपरान्त साक्षात्कार के लिफाफे खोले जाए ।
प्रबन्ध मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में CAS के अन्तर्गत आगामी प्रोन्नति होनी है । इस हेतु वर्तमान कुलपति को इस आशय से अधिकृत किया जाता है कि प्रोन्नति करने से पूर्व समविश्वविद्यालय इसकी सूचना विश्वविद्यालय अुनदान आयोग/ शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित कर दे ।

प्रस्ताव संख्या 10 में समविश्वविद्यालय में सफाई एवं माली के रूप में फिक्स/दैनिक वृत्ति के आधार पर पूर्व में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर वादों पर हुए निर्णय के आलोक में दिनांक 19.12.2022 को दिये गये प्रत्यावेदन पर विचार किये जाने के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों को

माननीय न्यायालय का अन्तिम निर्णय आने तक समविश्वविद्यालय में श्रम विभाग के नियमों के अन्तर्गत दैनिक वृत्ति पर कार्य लिया जाए ।

प्रस्ताव संख्या 11 में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 के अनुसार पारित स्ववित्त पोषित नियमावली 2020 में संशोधन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । प्रो0 एस0सी0 बागड़ी जी ने कहा कि कोई भी नियम बनाने की तिथि से ही लागू होने चाहिए, इस हेतु एक समिति का गठन कर कार्यवाही पूर्ण की जाए ।

पूरक प्रस्ताव संख्या 01 में डॉ0 श्रवण कुमार शर्मा को दिनांक 20.12.2021 को FR-56J (ii) के अन्तर्गत दिये गये समय–पूर्व सेवानिवृत्ति के निर्णय के विरूद्ध माननीय कुलाधिपति महोदय को दिये गये प्रार्थना पत्र Representation/appeal पर पुनः विचार किया गया । इस संदर्भ में निर्णय लिया गया कि डॉ श्रवण की समय–पूर्व सेवानिवृत्ति नियम विरुद्ध है एवं इस प्रकरण को न्यायलय के बाहर ही आपसी सहमति से निराकरण कर इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जाए । श्रवण कुमार शर्मा को दिनांक 20.12.2021 को दिये गये FR-56J (ii) के अन्तर्गत समय–पूर्व सेवानिवृत्ति को समाप्त कर दिया जाए । डॉ0 अम्बुज जी एवं डॉ0 नैपाल सिंह तोमर जी ने कहा कि डॉ श्रवण के निलम्बन एवं निष्कासन में प्रकिया नियमानुसार नही की गई । प्रो0 बागडी ने कहा कि इस सम्बन्ध में विधिक राय भी ली जानी चाहिए ।

पूरक प्रस्ताव संख्या 02 में राज्य सरकार, उत्तराखण्ड के अधीन विश्व बैंक की पेयजल योजना के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय द्वारा भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रायोजक संस्थाओं से विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले प्रतिमाह किराया तथा आवंटित वॉटर कनैक्शन से सम्बिन्धत उचित निर्देश ले लिये जाए ।

पूरक प्रस्ताव संख्या 03 में समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में परीक्षण काल पर नियुक्त प्रोफेसर्स के द्वारा दिये गये त्याग–पत्र एवं कुछ शिक्षकों के अन्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति होने पर सम्बन्धित शिक्षकों को कार्यमुक्त स्वीकार किया गया।

पूरक प्रस्ताव संख्या 04 में समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0लिब व एम0लिब कोर्स को सत्र 2023–24 से आरम्भ किये जाने पर प्रो0 बागड़ी ने कहा कि वर्तमान में इन विषयों में छात्रो को रोजगार प्राप्त नही हो रहा तथा नैपाल सिंह तोमर ने कहा कि इस प्रस्ताव को पूर्ण विवरण सहित अगली बैठक में रखा जाए।

शांति पाठ के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी ।